



# कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./जविप्रा/भू-अर्जन/2018/ 997

जबलपुर, दिनांक 1/6/2018

## आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 63 (ग्राम बहदन) का प्रकाशन म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 50(4) तक प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्राम : बहदन प.ह.नं. 34 नं. बंदोबस्त 46

खसरा नं. 171/1, 173, 171/3, 178, 179, 172, 174, 175/1, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 192, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193/1, 194/1, 196/1, 197/1, 197/3, 198/1, 193/2, 194/2, 195/1, 195/3, 195/4, 196/2, 198/3, 258/1, 259/1, 261, 260, 262, 263, 264, 265, 269, 266, 268, 267, 270, 272, 274/1, 274/2, 275, 170, 184, 182, 271, 273.

यह कि उपरोक्त योजना क्रमांक 63 में स्थित उक्त भूमि का क्रय/विक्रय एवं भूमि पर बिना किसी स्वीकृति के किया जा रहा विकास/निर्माण कार्य विधि मान्य नहीं है एवं पूर्णतः अवैध है। बिना विकास अनुज्ञा के भूखण्डों का क्रय/विक्रय अवैधानिक है।

भू-अर्जन अधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1/6/2018

पृ.क्र./भू.अ./जविप्रा/2018/ 997/3

प्रतिलिपि:-

1. संपादक, दैनिक ..... की ओर सूचनार्थ एवं अपने अंक दिनांक ..... को मैं प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ एवं प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
3. कम्प्यूटर शाखा, जविप्रा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नोटिस बोर्ड :- 1. कार्या.जविप्रा, जबलपुर, 2. नगर निगम जबलपुर, 3. कलेक्टर कार्यालय जबलपुर, 4. नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर में चस्पा हेतु।

भू-अर्जन अधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर